रजिस्टर्ड नं० एल०

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 22 सितम्बर, 1973

भाद्रपद 31, 1895 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग--1

संख्या 3184/सत्रह--वि०-1-92-73

लखनऊ, 22 सितम्बर, 1973

विज्ञप्ति

विविध

दिनांक 22 सितम्बर, 1973 को अधिनियमित निम्नलिखित राष्ट्रपति अधिनियम को सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1973

(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 15, 1973)

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्
(अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970
का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

1973 का 32 उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित करते हैं :—

1—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्प- संक्षिप्त नाम
कालिक व्यवस्था) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1973 है ।

धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) में "साढ़े तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "साढ़े चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे । 1970 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 22

वराहगिरि वेंकटगिरि,
राष्ट्रपति ।

क० के० सुन्दरम्,
सचिव, भारत सरकार ।

अधिनियमन के कारण

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अधीन उत्तर प्रदेश में जिला परिषद् की शक्तियां, कृत्य, और कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेटों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इन निकायों के गठन, कृत्यों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन किए जाने तक निहित कर दिए गए थे । यह व्यवस्था प्रारम्भ में दो वर्ष के लिए की गई थी । दो वर्ष की इस अवधि को बढ़ाकर साढ़े तीन वर्ष कर दिया गया था, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्त समिति की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई थीं । समिति की सिफारिशों की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है किन्तु यह विनिश्चय किया गया था कि इन संस्थाओं के साधारण निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार करा दिए जाएं और निर्वाचनों की तारीख भी घोषित की जा चुकी थी । इसी बीच जिले का प्रशासन गेंहूं की वसूली में पूरी तरह से जुट गया और निर्वाचन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए । यह आवश्यक है कि जिला परिषदों में वर्तमान व्यवस्था को, जो 22 सितम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली है, और एक वर्ष की अवधि के लिए चालू रखा जाए । यह अधिनियम मूल अधिनियम का इस प्रयोजन से उचित संशोधन करने के लिए है ।

2—इस विषय की अत्यावश्यकता को देखते हुए यह सम्भव नहीं है कि उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित कानून बनाने के लिए संसद की परामर्श समिति से परामर्श किया जा सके । अतएव यह अधिनियम, परामर्श समिति को निर्देश के बिना अधिनियमित किया जा रहा है ।

के० एन० चन्ना,
अपर सचिव, भारत सरकार,
कृषि मंत्रालय,
(सामुदायिक विकास विभाग)।

No. 3184(2)/XVII-V—1-92-73

The following President's Act enacted on September 22, 1973 is published for general information :

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA SAMITIS AND ZILA PARISHADS (ALPAKALIK VYAVASTHA) (SECOND AMENDMENT) ACT, 1973

(President's Act No. 15, of 1973)

Enacted by the President in the Twenty-fourth Year of the Republic of India

An Act further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1970.

IN exercise of the powers conferred by section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1973, the President is pleased to enact as follows : 33 of 19

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Alpkalik Vyavastha) (Second Amendment) Act, 1973.

1970 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 22

U.P. Act 22 of 1970.

2. In the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1970, in section 2, in sub-section (1), for the words "three and a half years", the words "four and a half years" shall be *substituted*.

Amendment of section 2.

V. V. GIRI,
President.

K. K. SUNDARAM,
Secretary to the Government of India

Reasons for the enactment

Powers, functions and duties of the Zila Parishads in Uttar Pradesh were vested in the District Magistrates under the provisions of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam 1970, initially for a period of two years pending review of the constitution, functions and duties of these bodies by the State Government of Uttar Pradesh. The term of two years was further extended to three and a half years, as the recommendations of the Committee appointed to review the working of Panchayati Raj Institutions had not been received. The recommendations of the Committee are still awaited. However, it was decided to hold general elections to these bodies according to the existing provisions of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam 1961, and even the date of elections had already been announced when the district machinery became fully involved with the wheat take-over and the elections were postponed indefinitely. It is, therefore, necessary to continue the present arrangement in the Zila Parishads, which is due to expire on September 22, 1973, for a further period of one year. The present measure seeks to amend the principal Act suitably for the purpose.

2. In view of the urgency of the matter it is not practicable to consult the Consultative Committee of Parliament on Uttar Pradesh legislation. The measure is accordingly being enacted without reference to the Consulative Committee.

K. N. CHANNA,
Additional Secretary to the Government of India,
Ministry of Agriculture
(Department or Community Development).

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव ।

33 of 1973

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—188 गजट (हिन्दी)—1973—2,050+300 (मे०)